पत्र संख्या–11/आ0नी0–III–01/2017 सा0प्र0...5891

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–...17.5.17

विषय :– दांगी जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के सलाह/परामर्श के आधार पर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–127 पर दांगी जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। इस समावेशन के पश्चात दांगी जाति की उपजाति छोटकी दांगी जाति के सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि दांगी जाति छोटकी दांगी एवं बड़की दांगी के रूप में दो भागों में बटी हुई है। छोटकी दांगी जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर किया जाय।

उपर्युक्त के आलोक में विभागीय स्तर से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना से नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए परामर्श निम्नवत् है :–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार अपने सभी अधीनस्थ जिलाधिकरी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी को निर्देश भेजे जिससे कि "दांगी" जाति (छोटकी या बड़की कोई भी) को पिछड़े वर्गों की अनुसूची–1 का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि नियमानुसार दांगी जाति के सदस्यों को **(छोटकी या बड़की कोई भी)** को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

16/5/17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER--2